IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

रॉलेट एक्ट: एक काला कानून

The Rowlatt Act : A black law

Dr.Priyanka sahu
Assistant professor history
Government mahakoshal. arts and
Commerce college jabalpur
Madhya pradesh

एब्स्ट्रेक्ट

भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाने वाला रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को पारित किया गया रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के नाम पर भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने वाला, अंग्रेज सरकार को भारतीयों के विरुद्ध असीमित दमनकारी शक्तियां प्रदान करने वाला था। 10 सितंबर 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करने हेतु गठित की गई। किसी भी भारतीय को संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी,गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित कर सकती थी। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, समाचार पत्र के प्रकाशन पर सरकारी नियंत्रण आदि जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था ।सारे देश में इस काले कानून का विरोध किया गया । मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इस कानूनों के अन्तर्गत ' अपील , वकील और दलील ' की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया था ।
यह एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटानिया सरकार के विरुद्ध महात्मा गांधी को लाकर खड़ा कर दिया जहां प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का भरपूर सहयोग प्रदान किया था वहीं इस एक्ट के लागू होने के कारण उन्हें सहयोगी से असहयोगी बना दिया ।इस आंदोलन में क्रूरता की पराकाष्ठा अमृतसर में हुए13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में प्रदर्शित हुई जिसने संपूर्ण भारतीयों के मन को झकझोर कर रख दिया और संपूर्ण भारतीय एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे यह आंदोलन संपूर्ण भारत में दावानल की तरह विस्तृत हो गया। यही वह आंदोलन था जिसने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। रॉलेटएक्ट को जानने के पूर्व इसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है।प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से रॉलेटएक्ट तथा उसका परिचय , एक्ट की पृष्ठभूमि , प्रावधान भारतीयों द्वारा एक्ट के विरोध प्रदर्शन तथा तदोपरांत ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों के विवेचना की गई है।साथ ही रॉलेटएक्ट के परिणामों का विश्लेषण किया गया है।

The Rowlatt Act, known as the Black Law in Indian history, was passed in March 1919. The Rowlatt Act, in the name of suppressing revolutionary activities, violated the personal liberty of Indians and gave the British government unlimited repressive powers against Indians. On 10 September 1917, the Sedition Committee headed by Justice Sir Sydney Rowlatt was formed to investigate revolutionary movements in India. Any Indian could be arrested on the basis of mere suspicion, could be punished by conducting a secret trial. Peaceful sit-in demonstrations, government control on the publication of newspapers, etc. were direct blows to the general freedom of the people. This black law was opposed all over the country. Motilal Nehru said that under these laws, the system of 'appeal, lawyer and argument' was abolished. This was a law which pitted Mahatma Gandhi against the British government. During the First World War, Mahatma Gandhi had given full cooperation to the British government, but due to the implementation of this Act, he was turned from a co-operator to a non-cooperator. The peak of cruelty in this movement was displayed in the Jallianwala Bagh massacre on 13 April 1919 in Amritsar, which shook the minds of all Indians and all Indians united and started protesting against the British government. This movement spread like wildfire throughout India. This was the movement which prepared the background for the non-cooperation movement.

Before knowing the Rowlatt Act, it is necessary to know its background. Through the presented research paper, the Rowlatt Act and its introduction, the background of the Act, the provisions, the protests against the Act by Indians and the activities of the British government thereafter have been discussed. Along with this, the results of the Rowlatt Act have been analyzed.

कीवर्ड :अराजकता, सिडनी रौलेट,सत्याग्रह सभा,जलियांवाला, हंटर आयोग

परिचय

रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 (Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919) था।डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए जाने को हम रॉलेटएक्ट के नाम से जानते हैं और क्यूंकि इसका सुझाव सर सिडनी रॉलेटकी कमेटी द्वारा दिया गया था इसलिए इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बढे हुए काल को रॉलेटएक्ट नाम दिया गया था, और इस एक्ट को मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था।10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेटकी अध्यक्षता में भविष्य में आतंकवाद को रोकने तथा कानूनी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिये सेडीशन समिति गठित की गई थी । इसमें दो सदस्य भारतीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश थे जिनमें एक अंग्रेज तथा दूसरा भारतीय था । इसी तरह दो गैर सरकारी सदस्य भी थे । समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की समिति के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधान मंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए तो विधेयक लाए गए जिसमें से एक को तो वापस ले लिया गया परंतु दूसरे अधिनियम क्रांतिकारी व अराजकता अपराध अधिनियम या रॉलेटएक्ट को मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। समिति ने सिर्फ पंजाब तथा बंगाल को क्रांतिकारी घटनाओं के संदर्भ में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन के पश्चात15 अप्रैल 1918 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी थीं।इस समय लॉर्ड चेम्स्फोर्ड भारत का वायसरॉय थे।

पृष्ठभूमि

ब्रिटिश सरकार के सामाजिक, आर्थिक ,राजनीतिक धार्मिक शोषणात्मक दमनकारी कार्यवाहियों ने भारतीयों को क्षुब्ध कर दिया था । पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार, निरंकुशतापूर्ण प्रशासनिक नीतियां, दुर्भिक्ष तथा प्लेग का प्रकोप,साथ ही साथ विदेशी क्रांतियों का प्रभाव , सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा,बंगाल विभाजन आदि तात्कालिक परिस्थितियों ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया था। जहां भारतीयों का एक वर्ग प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ में सहयोग करने में यह विश्वास रखा हुआ था कि भारत को भी वही राजनैतिक स्तर प्राप्त हो जाएगा जो ब्रिटेन के अन्य औपनिवेशिक देशों को प्राप्त है वही यह क्रांतिकारी वर्ग ब्रिटिश सरकार का किसी भी रूप में सहयोग नहीं करना चाहता था ।
प्रथम विश्व युद्ध के समय समस्त क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम को 1915 में पारित कर दिया गया अधिनियम महा युद्ध समाप्त होने के 6 महीने तक ही लागू होना था अर्थात 1918 में यह अधिनियम समाप्त हो जाना था। परंतु ब्रिटिश सरकार के यह जानती थी कि भारत के स्वतंत्रता के मांग तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना अत्यंत मुश्किल है ।सरकार क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए उसी प्रकार के विशेष अधिकार चाहती थी जो उसे भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिले थे। अतः सरकार ने 1917 ई . में जस्टिस रौलट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति को भारत में क्रान्तिकारियों और आतंकवादियों की गतिविधियों की जाँच करने और इनको दबाने के लिये उपयुक्त कानूनों की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया । अप्रैल , 1918 ई . में समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । समिति का कहना था कि क्रान्तिकारी अपराधों को दबाने के लिये देश का साधारण कानून से काम नहीं चल सकता । समिति ने केवल पंजाब और बंगाल में जाँच की थी और पिछली सरकार की रिपोर्ट से ही जाँच का काम पूरा कर लिया था । यह जाँच का काम केवल दिखावा मात्र था , सरकार ने कठोर कानून बनाने का निर्णय पहले ही कर लिया था । अतः रॉलेटएक्ट 1915 में बने भारत सुरक्षा अधिनियम (डिफेंस ऑफ इंडिया) एक्ट अनिश्चितकालीन वृद्धि अधिनियम था।

उद्देश्य

1) क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी आंदोलन पर अंकुश लगाना
2)होमरूल आंदोलन के प्रभाव को कम करना
3)भारतीय क्रांतिकारी दलों के जर्मन सरकार तथा रूसी वोल्शेविक सरकारों के साथ संबंधों को ढूंढना तथा भारत में इन सभी गतिविधियों को रोकना।
4)अंग्रेजो के खिलाफ किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त कर देना
5)भारतीयों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णरूपेण समाप्त कर देना जिससे वे किसी भी प्रकार का विद्रोह का विचार अपने मन में ना ला सकें।

जनता के प्रतिरोध का कारण

प्रथम विश्वयुद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ इसमें भारतीयों में बहुत बड़ा योगदान दिया। दस लाख भारतीय सैनिक प्रांत से लेकर चीन की सीमा तक लड़ रहे थे जिनमें एक लाख की मृत्यु हो गई ।साथ ही युद्ध व्यय के रूप में भारत ने 13 करोड़ पौंड खर्च किए किंतु , युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के हित में कुछ भी कार्य नहीं किया । यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया ।युद्ध से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी कृषक, मजदूर शिक्षित वर्ग सभी सरकार से असंतुष्ट थे ।मुस्लिम वर्ग मुस्लिम वर्ग खिलाफत के प्रश्नों को लेकर हिंदुओं का सहयोग करने के लिए तत्पर था एक बार का जो युद्ध के पश्चात में नौकरियों से अलग कर दिए गए थे उनमें असंतोष व्याप्त था। 1919 में लाए गए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने भी भारतीयों के हित में कोई कार्य नहीं किया अपितु सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रसार किया तथा भारत की स्वशासन की मांग को ठुकराकर जनता को हताश ही किया।

रॉलेट एक्ट के तहत सरकार के अधिकार

1) नागरिक अधिकारों पर लगे युद्धकालीन प्रतिबंधो को स्थाई रूप दिया जाना था।
2)राजद्रोहात्मक कार्यो के संदेह मात्र पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दो वर्ष के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नजरबंद किया जा सकता था ।
3) प्रतिबंधित पुस्तकों या दस्तावेजों के रखने मात्र पर गिरफ्तारियों की जा सकती थी तथा मुकदमे चलाये जा सकते थे ।
4)मुकद्दमे की सुनवाई विशेष अदालत का गठन जिसमें गुप्त रूप से कार्यवाही की व्यवस्था थी और अपील का अधिकार समाप्त कर दिया गया था ।
5) पुलिस को तलाशी , गिरफ्तारी एवं जमानत मांगने के असीमित अधिकार दिये गए थे ।
6) यह एक्ट उन साक्ष्यों को भी स्वीकारकर सकता था जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत भी स्वीकार नहीं किए गए थे।
7)अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार नहीं।
8)जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार।
9)प्रेस की स्वतंत्रता का दमन।
10)बिना वारंट के तलाशी,गिरफ़्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति ।
11)राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना।
12)अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया ।
13)देश से निष्कासित कर देने अधिकार।

गतिविधियां

1)24 फरवरी 1919 को गांधी जी की अध्यक्षता में साबरमती आश्रम में बंबई तथा अहमदाबाद के होम रूल कार्यकर्ताओं ने इस कानून का विराध करने का निर्णय लिया तथा इसके लिये सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई।
2)सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद 21 मार्च 1919 को इसको कानूनी रूप प्रदान कर दिया
3)1914 से ही तिलक भी मांडले जेल से बाहर आ गए थे और होमरूल आंदोलन से जुड चुके थे|
4)30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इस कानून के विरोध में कर मत दो आंदोलन चलाया गया जिसका केंद्र पंजाब था।
5) गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन के लिये निर्धारित की गई।इस दिन 24 घंटे का उपवास एक प्रार्थना कर अपने हृदय को शुद्ध कर तथा शांतिपूर्ण सभाओं तथा प्रदर्शनों के द्वारा कानूनों का विरोध करे । बाद में यह तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गयी ।
6)गांधी जी ने इस सत्याग्रह के लिये तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया . a)होमरूल लोग b)खिलाफत तथा c)सत्याग्रह सभा ।
7)रॉलेटसत्याग्रह सभा के स्वयं गांधी जी अध्यक्ष थे । शंकर लाल बैंकर, उमन शोभानी एवं डा ० डी . डी . साम्ये इसके सचिव थे । दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद कराची , मद्रास एवं पटना गुजरात एव सिंध के कुछ भागों में सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई । सिद्धान्तः ये सभी प्रांतीय सभा स्वतंत्र थी परंतु व्यवहार में उन पर बंबई स्थित केन्द्रीय सभा की प्रधानता थी ।
8)सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य था, प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर जुटाना एवं उन्हें अहिंसक कार्यो का प्रशिक्षण देना । इस सभा का कोई सदस्यता शुल्क नहीं था ।
9) सत्याग्रह आयोजित करने में राष्ट्रवादी प्रेस ने भी काफी मदद पहुँचाई । होम रूल एव सर्व इस्लामपरस्त अखबारों ने गांधी जी के पक्ष में व्यापक प्रचार किया । इनमें यंग इंडिया , गुजराती नवजीवन , बाम्बे क्रॉनिकल ,इन्डिपेन्डेन्ट (इलाहाबाद) उर्दू अखवार आदि प्रमुख थे।
10)भौगोलिक दृष्टि से रॉलेटएक्ट का सबसे तूफानी केन्द्र पंजाब, दिल्ली, गुजरात , बंबई सिंध के प्रमुख शहरों में रहा । संयुक्त प्रांत ,बिहार ,मध्य प्रांत ,बरार बंगाल एवं मद्रास मद्रास के प्रमुख शहरों में आन्दोलन का जोर मध्यम रहा । सामुदायिक दृष्टिकोण से हिंदू मुसलमान , सिख , ईसाई , पारसी आदि सभी समुदायों ने इस आन्दोलन में भाग लिया ।

11) आन्दोलन की तिथि बदलने की जानकारी सभी स्थानों पर नहीं हो पाई , इसलिये दिल्ली में 30 मार्च को ही हडताल हो गई।

12) रॉलेटसत्याग्रह , केन्द्र तथा प्रांतीय प्रशासन के संपर्क सूत्र भंग हो गए । फलत : प्रांतीय सरकारों को अपनी विवेक एवं पहल पर निर्भर रहना पड़ा । यही वजह है कि आन्दोलन के प्रति सरकारी प्रतिक्रिया में भी भिन्नता नजर आती है । जहाँ पंजाब में माइकल ओ डायर ने भीषण रक्तपात एवं आतंक का रास्ता अखित्यार किया वहीं बंबई में लायड जार्ज ने रक्तपात नही किया।

13) रॉलेटएक्ट का सबसे बड़ा भूचाल पंजाब के पांच जिलों में आया । आर्य समाजी नेता मुकुंद लाल पुरी एवं गोकुल चंद नारंग,सनातन धर्म सभा के संरक्षक रामशरण दास , पुराने उग्रवादी रामभुज दत्त,सर्व इस्लामावादी पत्रकार जफर अली खां ने ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। 14)अमृतसर में 30 मार्च तथा 6 अप्रैल की हड़ताल शांतिपूर्ण रही । 9 अप्रैल को डा .सैफुद्दीन किचलू एवं डा .सत्यपाल के नेतृत्व में रामनवमी का जूलूस निकला जिसमें मुस्लिमो ने भी भाग लिया । प्रशासन ने इन दोनों नेताओं को उसी शाम निर्वासित कर दिया |

15) बढ़ते जन - आक्रोश पर नियंत्रण करने के लिए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ.डायर 11 अप्रैल1919 को अमृतसर पहुँचा । समूचे अमृतसर में सैनिक कानून लागू कर दिया । विधिवत इसकी घोषणा भी नहीं की गई । अनेक व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए । 13 अप्रैल की संध्या को जालियाँवाला बाग में, नेताओं के निर्वासन और पुलिस ज्यादतियों के विरोध में एक सभा बुलाई गई । परंतु इस सभा की मुखबरी हंसराज नामक व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार से कर दी।सभा की कार्यवाही के बीच ही करीब 5 बजे जनरल डायर सौ सिपाहियों (सैनिकों) और दो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहाँ पहुँचा तथाकथित बाग में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही संकीर्ण रास्ता था । चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ बाग ,वास्तव में यह बाग नहीं होकर जमीन का एक टुकड़ा था जिसमें उस समय सिर्फ एक कुआँ , एक समाधि और तीन वृक्ष थे । भीड़ पूर्णतः निहत्थी थी । भय उत्पन्न करने के लिये डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांत भीड़ पर गोली दी । 1650 चक्र गोलियाँ चलाई गई । यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है । सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 लोग मारे गए । जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसारके यह संख्या 1000 से भी ज्यादा थी । जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ.डायर था, जबकि सैनिक अधिकारी का जिसने गोली चलायी का नाम रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर था । सबसे पहले होर्नीमेन के बॉम्बे क्रोनिकल ने इस घटना के विषय में दुनिया को सूचना प्रदान की । इसे अमृतसर का कसाई कहा गया।

16)सरकार ने इस घटना की खानापूर्ति के लिये हंटर आयोग का गठन किया तथा डायर को सेवा मुक्त कर दिया गया । कांग्रेस ने भी इसकी कड़ी भर्तस्ना की तथा स्वयं भी एक जांच समिति बनाई जिसमें गांधी जी भी शामिल थे| रविंद्र नाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड सम्मान सरकार को दिया ।

17) पंजाब की घटनाओं को देखते हुए गांधी जी वहां की लिए प्रस्थान कर गए परंतु सरकार ने 9 अप्रैल को उन्हें पलवल स्टेशन उतारकर जबरन बंबई भेज दिया । दिल्ली में होमरूल आंदोलन के दौरान डा ॰ अंसारी के नेतृत्व में होम रूल की एक शाखा स्थापित हुई थी । उन्होंने तथा हकीम अजमल ख़ां ने यहाँ रॉलेटएक्ट का विरोध किया । दिल्ली भी हिन्दू - मुसलमान एकता का भव्य प्रदर्शन हुआ तथा प्रमुख हिंदू नेता स्वामी श्रद्धानंद को भाषण करने के लिये जामा मस्जिद में आमंत्रित किया गया । यहाँ दोनों सम्प्रदाय के लोगों ने श्रद्धा से उनका चरण चूमा ।

18)मद्रास का विरोध शांतिपूर्ण रहा यहां भी समुद्र तट पर बड़ी-बड़ी श्रमिक सभाएं हुई जिसे संबोधित करने वालों में थे टी.वी .कल्याण, सुंदर मुदलियार तथा कांग्रेसी नेता सुब्रमण्यम शिवा।

19) 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया ।

20) इस आंदोलन की सफलता यह थी कि रॉलेटएक्ट आधिकारिक रुप से भले ही वापस नहीं लिया गया हो, परंतु इसके तहत कोई कार्यवाही भी नहीं की गई तथा 3 वर्ष के बाद 1922 इसे वापस ले लिया गया| इस समय भारत का वायसरॉय लॉर्ड रीडिंग था।

21)मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेटएक्ट का कानून विहीन कानून कहा।

सारांश

रॉलेटएक्ट एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिश सरकार के वास्तविक मंतव्य को संपूर्ण जनता के समक्ष रख दिया। प्रथम विश्वयुद्ध में जिस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया वह अब उसके विपक्ष में खड़ा था। इस काले कानून ने भारतीयों के मन में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर दिया। सभी लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया हिंदू मुस्लिम एक मंच से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बोलने लगे। रौलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन ने महात्मा गांधी को भी ब्रिटिश सहयोगी से असहयोगी बना दिया और यहीं से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार ने ब्रिटिश सरकार की क्रूरता की असीमित सीमाओं को व्यक्त कर दिया। इस एक्ट के विरोध में किए गए आंदोलन को आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सोपान कहा जा सकता है।

References / संदर्भ

1) महाजन विद्याधर, आधुनिक भारत का इतिहास, एस .चंद्र पब्लिकेशन

2) ग्रोवर,बी.एल, मेहता अलका,यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास ,एक नवीन मूल्यांकन केंद्र पब्लिकेशन ,2018

3) ग्रोवर,बी.एल, मुखर्जी मृदुला , मुखर्जी आदित्य,महाजन सुचेता, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष ,,हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली

4) गौतम पी.एल, आधुनिक भारत का इतिहास एवं विरासत (1750 से 1964) ,अटलांटिक पब्लिकेशन 2020

5) Sen,, S.N., History of modern India, New age international private limited, 2006

6) Chandra Vipin, History of Modern India , Orient Blackswan publication 2009

7)Ahir Rajeev,Brief History of Modern India, spectrum books publication ,1 January 2018

8)Chandra Vipin,The Epic struggle ,Orient longman publication ,1992

9)Sarkar Sumit Modern India (1885 to 1947) Macmillan publisher, India, limited

10)ग्रोवर,बी.एल, , आधुनिक भारत का इतिहास ,एस .चंद्र पब्लिकेशन